न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :–107/2024

G.C.M.S. संख्या 2024/105

1. प्रेम देवी पत्नी कालूराम जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:वादीयाः–

बनाम्

1. कविता देवी पत्नी ललित जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. जगदीश नारायण पुत्र लादूराम
3. रामलाल पुत्र लादूराम
   समस्त जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. यूको बैंक शाखा कानोता जिला जयपुर।

–:प्रतिवादीगणः–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री रामगोपाल शर्मा, एड0 वादीया

–:निर्णय:–

दिनांकः – 29/01/2025

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीया द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम घाटा प.ह. बैनाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी के हाल आराजी खसरा संख्या 704/251 रकबा 0.4426 है0 की खातेदारी वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम हिस्से अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीया के हिस्से 7788/9737 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होकर सहखातेदारों के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन हिस्से अनुसार मनबंट के काबिज काश्त है। दिनांक 10.06.2024 को वादीया ने प्रतिवादीगण से भूमि वादग्रस्त का विधिवत विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण सहखातेदारान ने विधिवत विभाजन करवाने से इनकार कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादीया को भूमि में हिस्से अनुसार काश्त करने में बाधा उत्पन्न की तथा भूमि वादग्रस्त का विधिवत विभाजन करवाये बिना ही पुख्ता निर्माण करने एवं भूमि वादग्रस्त को कृषि से अकृषि करने व दीगर व्यक्तियों का बेचान कर बेदखल करने पर आमादा हो गये। इस कारण वादी का वादपत्र विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण सह खातेदारों के बाबत् विभाजन का डिक्री किया जाकर भूमि वादग्रस्त का विभाजन बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के मुताबिक किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदारों के खाते एवं लगान अलग–अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवदी संख्या 1 ता 3 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वकील पक्षकार की ओर से निवेदन करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार बस्सी के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/7199 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव का अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

भूमि की कुर्रेजात स्वयं तहसीलदार बस्सी द्वारा उभय पक्षकारों को सूचित कर कब्जे काश्त व पुख्ता निर्माण एवं रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना स्पष्ट है।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलवध जमावंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 197 के खसरा संख्या 704/251 रकबा 0.4426 हैक्टेयर वाके ग्राम घाटा प.ह. वैनाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। वादीया अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी दिनांक 10.12.2024 द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट पर बहस के पश्चात् मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादीया डिक्री फरमाने का निवेदन किया। दावा वादीया मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराज़ी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः–प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः–प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीया तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 704/251 रकबा 0.4426 हैक्टेयर वाके ग्राम घाटा प.ह. बैनाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
	जगदीश नारायण हिस्सा 1/2, रामलाल हिस्सा 1/2 पिता लादूराम कोम मीणा सा.देह खातेदार।	704/251/1	0.0252
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0252
	कविता देवी पत्नी ललित कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार।	704/251/2	0.0633
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0633
	प्रेम देवी पत्नी कालूराम कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा कानोता।	704/251/3	0.3541
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.3541

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग–की–जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पंत्राक भू.अ./2024/7199 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीया एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीया

1. प्रेम देवी पत्नी कालूराम जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. कविता देवी पत्नी ललित जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. जगदीश नारायण पुत्र लादूराम
3. रामलाल पुत्र लादूराम

समस्त जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

4. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. यूको बैंक शाखा कानोता जिला जयपुर।

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री रामगोपाल शर्मा, एड0 वादीया

पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 107/2024 जी.सी.एम.एस. न0 2024/105

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे ..... वादीया व ..... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 704/251 रकबा 0.4426 हैक्टेयर वाके ग्राम घाटा प.ह. बैनाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 10.12..2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	जगदीश नारायण हिस्सा 1/2, रामलाल हिस्सा 1/2 पिता लादूराम कोम मीणा सा.देह खातेदार।	704/251/1	0.0252
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0252
2	कविता देवी पत्नी ललित कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार।	704/251/2	0.0633
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0633
3	प्रेम देवी पत्नी कालूराम कोम ब्राहमण सा.देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा कानोता।	704/251/3	0.3541
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.3541

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पंत्राक भू.अ./2024/7199 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीया एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर